

-:विज्ञप्ति:-

वैट नियम-11 के उपनियम-1 के द्वितीय "प्रोविजो" में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुये एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि-

1- TIN/TDAN धारक समस्त व्यापारियों/"व्यक्तियों" द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में तृतीय त्रैमास तथा उसके आगे की सभी साविधिक विवरणी (Form-III (amended-1), Form-III A(amended-1, Form-III B (amended-1) एवं Form-III C(amended) विभागीय बेबसाईट (<http://comtax.uk.gov.in>) पर अनिवार्य रूप से Online दाखिल की जायेंगी।

Periodical Returns के साथ निर्धारित उपाबन्ध (Annexures) Online दाखिल किया जाना वैकल्पिक है।

2- प्रारूप III(B) (amended-1) में साविधिक विवरणी दाखिल करने वाले ऐसे कार्य संविदाकार (Works Contractors) जिनके द्वारा किसी विभागीय फार्म का प्रयोग न किया गया हो एवं जिनके द्वारा उपसंविदाकारों से कोई कटौती न की गई हो, तथा प्रारूप- III (c) (amended) दाखिल करने वाले ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2005 की धारा-7(1)के अर्न्तगत समाधान का विकल्प लिया गया हो, के द्वारा साविधिक विवरणी (Periodical Returns) Online दाखिल करने के उपरान्त हार्डकापी दाखिल करने की बाध्यता एतद्वारा समाप्त की जाती है।

निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न विधि से दाखिल किये गये Periodical Returns विधिक रूप से दाखिल किये गये Periodical Returns नहीं माने जायेंगे।

(सौजन्या)

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पू0प0सं0 3528 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार,उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।
3. अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4.एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायू जोन,रूद्रपुर।
- 5.समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6.ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।

8. ज्वाइंट कमिश्नर(वि०अनु०शा० / प्रवर्तन)वाणिज्य कर,हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क०नि०)-3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web-information officer को NIC एवं विभागीय website पर update करने हेतु।
10. आई०टी० अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11. इन्टावैट ईन्फो प्रा०लि० 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर०सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
12. नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
13. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
14. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय०कार्य०)वाणिज्य कर, नैनीताल।
15. स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई-233, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, -201002
16. लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड, मेरठ।
17. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
18. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गॉधी रोड, देहरादून।
19. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया आटोमो० त्यागी देहरादून।
20. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।
21. दी होलसेल डीलर्स एसो० 14, आदत बाजार देहरादून।
22. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो० 222/5 गॉधी ग्राम, देहरादून।
23. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
24. विधि-अनुभाग/सुख साधन-कर की गार्ड फाइल हेतु।
25. शोध-अनुभाग/स्थापना अनुभाग मुख्यालय हेतु।
26. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

(पीयूष कुमार)

अपर आयुक्त वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड।